APPENDIX - XV

# CERTIFICATE OF RECOGNITION

CEO/BEO OFFICE, BHIMTAL (NAINITAL) UTTARAKHAND
(Name & Address of the issuing authority)

No.

Date: 20/05/2022

To

WHITEHALL SCHOOL HALDWANI
AANPUR NAWAD, P.O. LAMACHAUR
DISTT. NAINITAL, UK
(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under RIGHT OF CHILDREN TO FREE & COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009 AND RULE 18 & 17.
(Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated 31.03.20 and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to WHITEHALL SCHOOL HALDWANI, VILL AANPUR NAWAD, PO- LAMACHAUR (Name & Address of school) for **class I to VIII** standard for the period 05 (no. of years) from the academic year 01.04.2019 to 31.03.24 in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule 17 (5) of STATE ACT (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 01.04.2019 to 31.03.2024 and is to be renewed at an interval of every 05 years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the SECTION 18, RULE 17 (5) (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of 25 (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

WHITEHALL SCHOOL ★ HALDWANI ★

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child, -
   a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
   b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
   a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
   b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
   c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
   d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the ..35.(1). (rule/ clause of State Act).
   e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under .23.(1). (rule/ clause of the state Act).
   f. The teachers perform his duties specified under 24.(1). (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in........19..........(rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the 1860..(1860(21))(Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. HINDI/ENG(language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under 2009/12(5)...(concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

WHITEHALL SCHOOL
HALDWANI

18. The school shall abided by the provisions of the....2009 Act.. (State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this C.E.O. OFFICE, NAINIT(Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department form time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the STATE GOVT.......(Concerned State Authority).

20/05/2023

खण्ड शिक्षा अधिकारी

Seal & Signature of issuing authority हल्द्वानी (नैनीताल)

Name & Address of issuing authority Harendra Kumar Mishra

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

WHITEHALL SCHOOL
HALDWANI

(निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम–17 के उप नियम (6) के अन्तर्गत)

# कार्यालय–मुख्य शिक्षा अधिकारी,नैनीताल

ई–मेल–ceonainital 11 @gmail.com फैक्स–05942–248469

पत्रांक– मान्यता–आर0टी0ई0 / अंग्रेजी मा0नवीन / 9064-65 / 2019–20 दिनांक– 31·3·20

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य
व्हाइटहालॅ स्कूल,हल्द्वानी
नैनीताल।

विषय– **निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।**

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक–02.02.2019 एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी,हल्द्वानी,नैनीताल के कार्यालय पत्रांक–848–49 / मान्यता / 2019–20 दिनांक–06.08.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक–21.11.2019 तथा दिनांक–25.07.2019 को निरीक्षण उपरान्त दी संस्तुति अनुसार आपके विद्यालय व्हाइटहॅाल स्कूल,हल्द्वानी,नैनीताल को प्री–प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2019–20 से आगामी पांच वर्ष (दिनांक–01.04.2019 से 31.03.2024 तक) के लिए मान्यता स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति शासनादेशों में प्रख्यापित नियमों / उपनियमों के अनुपालन के अधीन होगी–

01.मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

02 .विद्यालय निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर एंव शिक्षा से वंचित समुदाय के ब्च्चों का करेंगा तथा उन्हें निःशुल्क एंव अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04. उपरोक्त कम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05.संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

06.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसकों आय प्रमाण पत्र,नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रदेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

**07. विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगें:–**

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और नही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

WHITEHALL SCHOOL ★ HALDWANI ★

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

जाएगा।



(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

(तीन)किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चार)प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच)अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष अवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ)शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गति विधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होगें।

08. विद्यालय सरकार द्वारा निधारित पाठ्यचर्या एंव पाठ्य का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्वधृत मानकों एंव मापदण्डों को बरकरार रखेगा।

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल– 02 एकड
- कुल निर्मित क्षेत्र – 1766.74 वर्ग फीट
- खेल का मैदान – 2800 वर्ग फीट
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या – 24 8×6 वर्ग मीटर
- प्रधानाध्यापक कक्ष/सह भण्डार– 01 8×6 वर्ग मीटर
- बालक/बालिका के अलग–अलग शौचालय– 10 बालक 10 बालिका
- पेयजल सुविधा – है।
- मध्यान्ह भोजन के लिए रसोईघर है– लागू नहीं
- बाधा रहित है।
- शिक्षण अधिगमन सामाग्री– खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय उपलब्ध है।

11.इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा।विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा।

12.विद्यालय भवन अथवा अन्स संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक हेतु नहीं किया जायेगा।

WHITEHALL SCHOOL HALDWANI

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

13.विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14.विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15.लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमाणीकरण चार्टड एकाउन्टटेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

16.आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या-151-2019 है। इस को कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एंव उद्धृत किया जाये।

17.राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एंव सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगीं और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्ते की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18.यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

20. परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

21. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

22. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय एंव मा0 उच्चतम न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

20-03-20

(के0के0गुप्ता)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0सं0–मान्यता–आर0टी0ई0/अंग्रेजी मा0नवीन/ 9064-65 /2019–20 दिनांक–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01.निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
02.मण्डलीय अपर निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,कुमाऊँ मण्डल,नैनीताल।
03.जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा,नैनीताल।
04.संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी,

जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0)
नैनीताल।

WHITEHALL SCHOOL ★ HALDWANI ★

Manager
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani

Principal
WHITEHALL SCHOOL
Haldwani